रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012026-269697
CG-DL-E-31012026-269697

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947
No. 400] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 428(अ).—मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एईपीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय 406, हबटाउन सोलारिस, एन. एस. फडके मार्ग, अँधेरी ईस्ट, महाराष्ट्र – 400069, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "गुजरात के कच्छ में सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए मेसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एईपीएल) को 300 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/7/2025-पीजी दिनांक 13 जनवरी 2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "गुजरात के कच्छ में सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए मेसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एईपीएल) को 300 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 31.01.2025, यंग लीडर (हिंदी में) दिनांक 31.01.2025, कच्छ मित्र (गुजराती में) दिनांक 31.01.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 22.02.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके बाद, मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 29.04.2025 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि

भारत सरकार के शासकीय राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "गुजरात के कच्छ में सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए मेसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एईपीएल) को 300 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. एईपीएल (गांव- लाखाणीय, कुवापध्धर, कैरया, तालुका-अबडासा, जिला-कच्छ में उत्पादन पूलिंग स्टेशन) - भुज-II पी एस (सेक्शन-II) 220 केवी एस/सी लाइन (डी/सी टावरों पर)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन गुजरात के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्र. सं.	गाँवों के नाम	तहसील / तालुका	जिला
1	बांडिया, दबाण, कैरया, खानाय, कुवापध्धर, लाखाणीय, उस्तीया, नारायणनगर	अबडासा	कच्छ
2	जडोदर, कादीया मोटा, कादीया नाना, कोटडा जडोदर, नेत्रा, रसलीया जुनू, उखेड़ा	नखत्राणा	कच्छ

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/45/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 29th January, 2026

S.O. 428(E).— Whereas M/s Avaada Energy Private Limited (AEPL) having its registered office at 406 Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Andheri East, Maharashtra-400069, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Avaada Energy Private Limited for its 300 MW Proposed Solar Power Plant at Kachchh, Gujarat".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/7/2025-PG dated 13th January 2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Avaada Energy Private Limited for its 300 MW Proposed Solar Power Plant at Kachchh, Gujarat".

M/s Avaada Energy Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers, The Indian Express (in English) dated 31.01.2025, Young Leader (in Hindi) dated 31.01.2025, Kutch Mitra (in Gujarati) dated 31.01.2025 and in Weekly Gazette of India dated 22.02.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Avaada Energy Private Limited has submitted an affidavit dated 29.04.2025 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication in the Newspaper / official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Avaada Energy Private Limited for its 300 MW Proposed Solar Power Plant at Kachchh, Gujarat". The following overhead line is covered under this scheme:

1. AEPL (Generation Switchyard located at village – Lakhania, Karai & Kuapadar, Taluka – Abdasa, District – Kachchh, Gujarat) – Bhuj-II PS (Section-II) 220 kV S/C line (on D/C towers).

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat:

S. No.	Village Names	Tehsil	District
1	Bandia, Daban, Karai, Khanay, Kuapadar, Lakhania, Ustia, Narayannagar	Abdasa	Kachchh
2	Jadodar, Kadiya Mota, Kadiya Nana, Kotada jadodar, Netra, Rasaliya Junu, Ukheda	Nakhtarana	Kachchh

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Avaada Energy Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Avaada Energy Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F.No. 25-16/45/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under. Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.31 16:54:44 +05'30'